संख्या-193/2018/3163/22-2-2017-17(347)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 26 फरवरी, 2018***

विषय:- जिला कारागार, बागपत में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रेम सिंह उर्फ प्रेमी पुत्र श्री चन्दा, निवासी जनपद-बागपत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-43165/प्रोबे0-5-दयायाचिका/1021, दिनांक 05-12-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी प्रेम सिंह उर्फ प्रेमी पुत्र श्री चन्दा, निवासी-बाघू, थाना-बागपत, जनपद-बागपत का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीन के कब्जे की रंजिश को लेकर दिनांक 20.07.1984 को 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बलकटी एवं बल्लम से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या तथा 03 अन्य को घायल कर अपराध कारित किया गया है। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-668/1986 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 147 148, के अन्तर्गत मा0 नवम् अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 23.06.1995 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा योजित अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.05.2014 द्वारा धारा-304 पार्ट-2 सपठित धारा-149 में 08 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.02.2017 तक 02 वर्ष 06 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 03 वर्ष 03 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 01 अन्य सहअभियुक्त की मृत्यु, 01 अन्य सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त तथा 04 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी प्रेम सिंह उर्फ प्रेमी (बन्दी संख्या-142/16) पुत्र श्री चन्दा, निवासी जनपद-बागपत की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-193/2018/3163(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बागपत।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in